फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

हैदरअली बनाम दलमिरखां

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 420 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
26.05.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2022 को पेश हो।	
13.6.22	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से सत्यप्रकाश वकील उपस्थित वकील वादी ने वाद की नकल के इकबाल वास्ते पेश किया और की तामील हेतु सम्मन पेश करें पत्रावली दिनांक 5/7/22 को पेश हो।	
5.7.22	वकलाय फरिकेन उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का इकबाल पेश हो चुका है परिवार रजिस्टर की नकल पेश किया व साक्ष्य वादी में शपथपत्र पेश किया जिरह नहीं करना चाहता पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/7/22 को पेश हो।	
11.7.22	वकलाय फरिकेन उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19/7/22 को पेश हो।	
19.7.22	वकलाय फरिकेन उपस्थित वाद वादी आपसी सहमति राजीनामा सबूत के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 420 सन 2022

अनवान :–

1. हेदरअली पुत्र सरीफ खां जाति जोईया निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. दलमिर खां पुत्र सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मंजुर खां पुत्र सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुलजार खां पुत्र सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सायरा पत्नी सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. गुलजारा पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. तसमीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रिसायत अली पुत्र नसरीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. रूस्तम पुत्री नसरीना पुत्री सरीफ खा जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नसीबखां पुत्र माता मदीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. रजीव पुत्र माता मदीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 54/53 की कुल 13.6070हैक्ट एव रोही मौजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 8/6 में से कुल 3.5420हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है शरीफ खा पुत्र मेरदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्री मदनीा नसरीना का देहान्त हो चुका है शरीफ खा पुत्र मेरदीन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 वादी की माता /बहने/मृतक बहने के वारिसान है एवं शरीफ खा पुत्र मेरदीन की पुत्री/पुत्री के वारिसान एव पत्नी है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि सरीफ खां पुत्र मेहरदीन के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखा के खाता संख्या 54/53 की कुल 13.6070हैक्ट एव रोही मौजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 8/6 में से कुल 3.5420हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है शरीफ खा पुत्र मेरदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्री मदनीा नसरीना का देहान्त हो चुका है शरीफ खा पुत्र मेरदीन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 वादी की माता /बहने/मृतक बहने के वारिसान है एवं शरीफ खा पुत्र मेरदीन की पुत्री/पुत्री के वारिसान एव पत्नी है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 54/53 की कुल 13.6070हैक्ट एव रोही मौजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 8/6 में से कुल 3.5420हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि सरीफ खां पुत्र मेहरदीन के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 54/53 की कुल 13. 6070हैक्ट में से 1/6 हिस्सा एव रोही मौजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 8/6 में से कुल 3.5420हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़) राजस्व

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हेदरअली पुत्र सरीफ खां जाति जोईया निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 दलमिर खां पुत्र सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मंजुर खां पुत्र सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुलजार खां पुत्र सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सायरा पत्नी सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. गुलजारा पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. तसमीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रिसायत अली पुत्र नसरीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. रूस्तम पुत्री नसरीना पुत्री सरीफ खा जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नसीबखां पुत्र माता मदीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. रजीव पुत्र माता मदीना पुत्री सरीफ खां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 420 सन 2022 निर्णय दिनांक– 19|07|2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 54/53 की कुल 13.6070हैक में से 1/6 हिस्सा एव रोही मौजा चक 22 केएनएन के खाता संख्या 8/6 में से कुल 3.5420हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शरीफ खा पुत्र मेरदीन के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19|07|2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner